International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 4, Issue 10, October 2017
Website- www.aarf.asia, **Email** : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

राजस्थान में सुनवाई के अधिकार द्वारा सुशासन की स्थापना

कालुराम कुम्हार
शोधार्थी
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

भ्रष्टाचार एक वैश्विक समस्या है। भारत प्राचीन काल से भ्रष्टाचार की समस्या से जुझ रहा है। मौर्य काल से लेकर सल्तनकाल और मुगलकाल से लेकर अंग्रेजी शासन के अधीन किसी न किसी रूप में प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। कोटिल्य के शब्दो में –''लोक कार्मिक द्वारा सार्वजनिक धन का दूरूपयोग न करना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार जीभ पर रखे शहद को न चखना।''

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ब्रिटिश शासन के ''स्टील फ्रेम'' के रूप में कार्यरत औपनिवेशिक शासन व्यवस्था भारत को विरासत में प्राप्त हुई। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के अधीन पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास और जन कल्याण के प्रयास किये गये। राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षैत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त होने से नीति योजनाओ का वास्तविक लाभ वांछित लाभानुभोगी तक नही पंहुच पाता था। भ्रष्टाचार पर नियत्रंण के लिए स्थापित परामर्शदात्री आयोगों, समितियों के सुझावों के आधार पर प्रशासनिक सुधार एवं विकास के प्रयास अनवरत किये जाते रहे। परन्तु भ्रष्टाचार ने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को इतना प्रदुषित कर दिया कि उक्त प्रयास प्रभावी रूप से व्यवस्था में परिवर्तन लाने में असमर्थ रहे। वर्तमान जीवन में भ्रष्टाचार एक जीवन शैली बन चुका है जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त है और जिसे अब चारित्रिक दोष भी नही माना जाता। भौतिकवादी युग में नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है। विकासशील देशो में विकास और भ्रष्टाचार साथ साथ चलते है और भ्रष्टाचार आर्थिक – सामाजिक विकास एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार करता है। आर्थिक अपराधों एवं बड़े घोटालों द्वारा राष्ट्रीय सम्पदा और प्रगति को अपार हानि पहुंचाई जाती है। आम आदमी तक वास्तविक विकास का लाभ न पहुंचने और समावेशी विकास न होने के कारण जनता में रोष व्याप्त हो गया। दिन प्रतिदिन के कार्यों में लालफीताशाही और भ्रष्टाचार के कारण आम जन को दर दर भटकना पड़ता है। आम जन के भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति वर्ष 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में सिविल समाज के आन्दोलन के रूप में हुई। ऐसे द्वन्द्व के काल में भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्व पांच विधेयकों के प्रारूप तैयार किये गये जिन्हे ''

© **Associated Asia Research Foundation (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

पंचशील '' की संज्ञा दी गई। शासन – प्रशासन में सुधार की प्रक्रिया को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी अपनाया गया। इस दृष्टि से नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु सूचना का अधिकार के बाद लोकसेवा गारण्टी और सुनवाई का अधिकार राज्यों में सुशासन की स्थापना की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

राजस्थान राज्य शासन प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से अग्रणी रहा है। सूचना का अधिकार आन्दोलन की शुरूआत राजस्थान से ही हुई, वहीं राजस्थान वह प्रथम राज्य था जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रवृत होने के बाद इसे सर्वप्रथम लागु किया। नागरिको को समयबद्व लोक सेवा का अधिकार देने की दृष्टि से लोक सेवा गारण्टी अधिनियम सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागु हुआ जिसका अनुसरण विभिन्न राज्यों द्वारा किया गया। राजस्थान में ''राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011'' को 14 नवबंर 2011 को लागु करके अधिसूचित सेवाऐं निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने हेतु नागरिकों को सशक्त किया गया है। राजस्थान में 18 विभागों की 153 सेवाएँ अधिनियम के अधीन लायी गई। परन्तु अभी भी अधिसंख्य सेवाओं में नागरिकों के परिवादो के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी थी। अतः प्रशासन को पारदर्शी,संवेदनशील और जवाबदेह बनाने हेतु और प्रशासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये 1 अगस्त 2012 से ''राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012'' लागु किया गया। राजस्थान प्रथम राज्य है जिसने नागरिकों को नियत समय सीमा में सुनवाई एवं निर्णय से संसूचित किये जाने का अधिकार प्रदान किया है। अधिनियम के अधीन ''राजस्थान सुनवाई का अधिकार नियम, 2012'' बनाकर इसकी कार्य प्रणाली को सरल सुलभ बनाया गया है। अधिनियम के अधीन सूचना का अधिकार के अधीन किसी मामले और लोकसेवा गारण्टी कानूनों के अधीन अधिसूचित सेवाओं से संबधित शिकायतों को शामिल नही किया जाना इस बात का संकेतक है कि सूनवाई का अधिकार अधिनियम उक्त अधिनियमो से इतर अन्य लोक सेवाऐं जो नागरिकों से संबधित है, के सन्दर्भ में ही परिवाद लाया जाना सुनिश्चित करता है। इस दृष्टि से सुनवाई का अधिकार अधिनियम सूचना का अधिकार एवं लोक सेवा गारण्टी कानूनो का पूरक ही है और राजस्थान शासन के द्वारा राजस्थान में अच्छे अभिशासन की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 की प्रमुख विशेषताएँ :–

- अधिनियम द्वारा जनता को निर्धारित समयावधि के भीतर सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार है।
- 'सुनवाई का अधिकार ' में शामिल है –
    - नियत समयावधि में परिवाद पर सुनवाई का अवसर दिया जाना और
    - निर्धारित समयावधि में सुनवाई पर लिये गये निर्णय की सूचना प्राप्त करने का अधिकार
- परिवाद की सुनवाई हेतु राज्य सरकार समय समय पर लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी एवं पुनरीक्षण प्राधिकारी अधिसूचित कर सकेगी।

- 'परिवाद' में केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा राज्य में संचालित किसी नीति, कार्यक्रम या स्कीम का लाभ या अनुतोष प्राप्त करने या प्रदान करने में विफलता या विलम्ब पर अथवा किसी लोकप्राधिकारी द्वारा किसी राज्य विधि,नीति,आदेश,कार्यक्रम या स्कीम के कृत्यकरण में विफलता या अतिक्रमण पर लोक सुनवाई अधिकारी के समक्ष किन्ही नागरिको द्वारा व्यक्तिगत या सामुहिक रूप से किया गया कोई आवेदन आता है।
- ऐसा परिवाद निर्धारित प्रारूप में या परिवादी का नाम,पता,परिवाद की विशिष्टियॉ लिखते हुए सादा कागज पर भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- अधिनियम में लोक सेवको के सेवा संबधी मामलें,न्यायालय या अधिकरण के क्षैत्राधिकार वाले मामले,सूचना का अधिकार एवं राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम के अधीन सेवा सम्बन्धी शिकायतें नही आती है।
- परिवाद प्राप्त होने पर लोक सुनवाई अधिकारी निर्धारित अवधि में सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु आबद्व है।
- लोक सुनवाई अधिकारी आवश्यक होने पर अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहायता मांग सकेगा जो कि ऐसी अध्यपेक्षा पर सहायता करेगा और उसे लोक सुनवाई अधिकारी ही समझा जाएगा।
- लोक सुनवाई अधिकारी परिवाद प्राप्त होने पर आवेदक को सम्यक रूप से पावती देगा और निर्धारित अवधि में परिवादी को सुनवाई का अवसर देकर या तो परिवाद स्वीकार करते हुए आवेदन को विशिष्ट अधिकारी को फायदा देने हेतु आदेशित करेगा अथवा कारण लेखबद्व करते हुए परिवाद खारिज करेगा। दोनो ही परिस्थितियों में अपने विनिश्चिय की संसूचना निश्चित समय सीमा में परिवादी को देगा।
- लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा सुनवाई में विलम्ब करने पर या उसके निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।
- प्रथम अपील प्राधिकारी पर्याप्त कारण से 30 दिन के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा।
- अपील न्यायालय को सम्मन जारी करने,साक्षियो की परीक्षा एवं साक्ष्य प्राप्ति हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायलय की विहित शक्तियां प्राप्त होगी।
- प्रथम अपील प्राधिकारी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर या तो अपील स्वीकार करते हुए लोक सुनवाई अधिकारी को विनिर्दिष्ट समय में सुनवाई का अवसर देने का आदेश कर सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा।
- प्रथम अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्व अपील 30 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी को होगी।
- द्वितीय अपील प्राधिकारी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर या तो अपील स्वीकार करते हुए लोक सुनवाई अधिकारी को विनिर्दिष्ट समय में सुनवाई का अवसर देने का आदेश कर सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा।
- द्वितीय अपील प्राधिकारी की राय में जहां लोक सुनवाई अधिकारी युक्तियुक्त कारण के बिना परिवादी को सुनने में विफल रहा है तो उस पर न्युनतम 500 रूपये से 5000 रूपये तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो कि उसके वेतन से वसूलनीय होगी।

- द्वितीय अपील प्राधिकारी का समाधान होने पर कि लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी ,पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम द्वारा समनुदेशित कर्तव्यो के निर्वहन में विफल रहा है, लोक सेवा नियमो में अनुशासनात्मक कार्यवाही में की अनुशंषा भी कर सकता है।
- शास्ति अधिरोपित होने से व्यथित कोई लोक सुनवाई प्राधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी ऐसे आदेश के विरूद्व आवेदन 60 दिवस के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को कर सकेगें।
- अधिनियम के अधीन मामलो में सिविल न्यायलय को सुनवाई की अधिकारिता नही होगी।
- राज्य सरकार परिवादो को प्राप्त करने और उनके दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से निराकरण हेत सूचना एवं सुगम केन्द्रों की स्थापना एवं विनिमियन करेगी जिनमें ग्राहक सेवा केन्द्र, काल सेन्टर, हेल्प डेस्क व जन सहायता केन्द्र शामिल है।
- प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी,सूचना प्राद्यौगिकी का परिवाद निस्तारण में प्रयोग करते हुए शिकायत निवारण पद्वति में सुधार, विकास एवं आधुनिकीकरण हेतु उतरदायी होगा।
- अधिनियम के अधीन परिवाद पर सुनवाई कर लिए गए निर्णय की सूचना प्रार्थी को सात दिवस में दिया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार अधिनियम सुशासन की दिशा में राजस्थान की अहम पहल है। अधिनियम का अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर जन जन तक पंहुचाने और उनमें जागरूकता लाने के भी निर्देश सरकार द्वारा प्रसारित किए गए है। इस अधिनियम को राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजना में शामिल कर नियमित समीक्षा करने के निर्देश जारी किए गए है। प्रशासनिक सुधार विभाग इस अधिनियम का नॉडल विभाग है। मुख्यमंत्री कार्यालय एवं आयोजना विभाग द्वारा भी इसकी पाक्षिक समीक्षा की जा रही हैं।

अतः सुनवाई का अधिकार नागरिक सशक्तिकरण की अधिकार आधारित संकल्पना है। इसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर पटवारी व ग्रामसेवक, तहसील व पंचायत समिति स्तर पर तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी को लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार जिला स्तर पर अति0जिला कलक्टर,संबधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,कार्यकारी अधिकारी नगर निगम,आयुक्त सुनवाई करेगें।

राज्य सरकार द्वारा अटल सेवा केन्द्रो का स्वरूप परिवर्तित करते हुए उन्हे 'लोक सुनवाई सहायता केन्द्र' के रूप में स्थापित किया गया है। त्रिस्तरीय जनसुनवाई की भी व्यवस्था की गई है यथा माह के प्रथम गुरूवार को उपखण्ड स्तर पर,द्वितीय गुरूवार को जिला स्तर पर एवं चतुर्थ शुक्रवार को ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित सुनवाई की जाती है। सुनवाई में सभी विभागीय अधिकारीयों/कर्मचारीयों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। जन सुनवाई में प्राप्त सभी परिवादों को दर्ज कर मौके पर ही प्राप्ति रसीद दी जाती है और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर उनको दर्ज करवाया जाता है। यह अपेक्षा की गई है कि लोक शिकायतों एवं समस्याओं को सहानुभूति और संवेदनशीलता से सुना जावें और उनका त्वरित निस्तारण किया जावें। किसी भी आवेदन पर अपील हेतु कोई भी फीस देय

नहीं है। उपखण्ड एवं जिला स्तर पर गठित जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की उपसमितियों को द्वितीय अपील सुनने का अधिकार है। प्रत्येक परिवाद का निस्तारण 15 दिवस में किया जायेगा और प्रथम अपील के निस्तारण हेतु विहित मर्यादा अवधि 21 दिवस है।

अधिनियम के पांच वर्षो के क्रियान्वयन से स्पष्ट होता है कि यह कानून नागरिको को सुनवाई का अधिकार देने में काफी हद तक सफल रहा है। इसने नागरिको को एक अन्य हथियार प्रदान किया है जिसका प्रयोग करके वह अपने अधिकारो को क्रियान्वित करवा सकते है। फिर भी अधिनियम के स्वरूप और इसकी कार्य प्रणाली में कतिपय कमियां,समस्याएं,चुनौतियां परिलक्षित होती है :–

- अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार का अभाव
- जनता में विधि की जानकारी एवं जागरूकता का अभाव
- द्वितीय अपील एवं पुनरीक्षण कार्यवाही के निस्तारण की मर्यादावधि निर्धारित नहीं होना
- शास्ति का अधिरोपण बाध्यकारी न होकर द्वितीय अपील अधिकारी के विवेक पर निर्भर होना
- अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी उच्चाधिकारी की इच्छा पर निर्भर
- पीड़ित परिवादी को ''प्रतिकर'' की कोई व्यवस्था नहीं
- लोक सुनवाई अधिकारी (पटवारी,ग्रामसेवक,तहसीलदार इत्यादि) के पदों की रिक्तता एवं कार्यभार की अधिकता
- लोक अधिकारियों की जनसुनवाई में रूचि का अभाव
- पावती की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागु न होना
- विभागीय अधिकारियों को ही अपील की व्यवस्था होने से पक्षपात की संभावना
- ग्रामीण क्षैत्रो में आधार ढांचा कमजोर होने से ई–गवर्नेन्स के प्रयोग में कठिनाई
- ग्राहक सेवा केन्द्र का प्रभावी रूप से कार्य न किया जाना

इस प्रकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में अभी भी बहुत कठिनाईयां हैं। संविधान द्वारा 'व्यक्ति की गरिमा' को सुनिश्चित किया गया हैं जिसके अन्तर्गत राज्य का दायित्व है कि वह एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करें परन्तु सरकार के द्वारा अकेले भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाना संभव नहीं है। हम भारत के लोग और लोक समाज संस्थाओं की सक्रियता द्वारा ही भ्रष्टाचार को समाज से मिटाया जा सकता है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम इस दिशा में नागरिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम है। इसके द्वारा शासकीय कार्यकलापो में अनुचित विलंब मे कमी आई हैं और लालफीताशाही एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। इससे लोकसेवको में तत्परता से कार्य निष्पादन की कार्य संस्कृति का विकास हो रहा है। इस दृष्टि से सूचना के अधिकार के बाद लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के पूरक के रूप में सुनवाई का अधिकार अधिनियम राजस्थान में सुशासन की स्थापना में अभूतपूर्व कदम है।

संदर्भ –

- कौटिल्य, 'अर्थशास्त्र'
- आशुतोष, '' अन्ना क्रांति'',प्रभात प्रकाशन,नई दिल्ली,प्रथम संस्करण,2012
- चावला,वासुदेव एवं वर्मा, विरेन्द्र,भारतीय राजनितति में भ्रष्टाचार के बदलते आयाम,महीप बुक डिस्ट्रीब्युटर्स, नई दिल्ली,2012
- राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम,2012
- राजस्थान सुनवाई का अधिकार नियम,2012
- राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध परिपत्र/आदेश
- ओ.पी.द्विवेदी एवं डी.एस.मिश्रा,ए गुड गवर्नेन्स मॉडल फोर इण्डिया,आई.आई.पी.ए. वॉल्युम एल 1,एन.ओ.4 ओ.डी.05
- कुरूक्षैत्र,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली
- योजना,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- जनसता , नई दिल्ली
- राजस्थान पत्रिका, जयपुर
- दैनिक भास्कर, जयपुर
- हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
- दैनिक जागरण , नई दिल्ली
- टाइम्स ऑफ इण्डिया ,जयपुर
- इकॉनोमिक टाइम्स,नई दिल्ली
- नवभारत टाइम्स , नई दिल्ली